1	2	3
		रु0
	जिनकी आबादी 2000 तक है	
7	मृत पशुओं के शव निस्तारण कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम सभा जिनकी आबादी 2000 से अधिक है	5000.00
8	अन्य जनपदों से मृत पशुओं की हड्डी/खाल, सींग क्रय-विक्रय पर	5000.00

19—उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से 3 वर्ष उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा संख्या 2004 (1)/33-2001-26 जी-2001, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 के अनुसार निर्धारित दरों में नियमानुसार संशोधन किए जाने का अधिकार पंचायत में निहित होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चित्रकूट यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो 1000.00 रु0 तक हो सकेगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है तो रुपया पचास (रु0 50.00) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड हो सकेगा, अर्थदण्ड का भुगतान न करने की दशा में कारावास से दण्डित किया जायगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

10 अक्तूबर, 2005 ई0

सं0 7/एल0 बी0 ए0-उपविधि-जि0 पं0 चित्रकूट-2005-2006—जिला पंचायत, चित्रकूट ने अपने ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़क किसी स्थान पर दुकानें/अन्य व्यवसाय करने सम्बन्धी कार्य करने को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित की धारा 239 (2) के अन्तर्गत उपविधियां बनाई गई हैं जो अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित हैं, यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यवसायी को कोई आपत्ति सुझाव हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर लिखित प्रस्तुत कर सकता है, निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परिभाषायें

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित से है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगी।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चित्रकूट (उ0प्र0)

उपविधियां

(1) यह उपविधियां शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

(2) यह उपविधियां दुकानें एवं अन्य व्यवसाय को विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेंगी।

(3) कोई भी व्यक्ति/संस्था जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थान पर उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस व्यक्ति/संस्था ने जिला पंचायत, चित्रकूट में निर्धारित लाइसेन्स शुल्क जमा करके लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो।

(4) प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष होगी, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेन्स का नवीनीकरण चालू माह अप्रैल तक करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा। परन्तु निर्धारित अवधि में लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में 100.00 रु0 तक निर्धारित शुल्क में 10.00 रु0 तथा 100.00 रु0 से 500.00 रु0 तक निर्धारित शुल्क में 25.00 रु0 तथा 500.00 रु0 से अधिक शुल्क पर 50.00 रु0 प्रति लाइसेन्स विलम्ब शुल्क सहित जमा करना होगा।

(5) उपविधि 4 में वर्णित विलम्ब शुल्क से नये व्यवसायी मुक्त होंगे परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था लिखित प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(6) उपविधि में निर्दिष्ट लाइसेन्स शुल्क की वसूली/उगाही सामान्यतः अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा

अधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से कराई जायेगी, कर्मचारियों के अभाव में पंचायत हित में लाइसेन्स शुल्क की वसूली की नीलामी ठेके पर देने की कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत में निहित होगा। वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी :

(अ) ठेका/नीलाम की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

(ब) नीलाम व्यापक प्रसार के बाद नीलाम समिति के समक्ष की जावेगी, नीलाम समिति में पंचायत में कार्यरत कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्श-दाता, अभियन्ता, कर अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर मुख्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष नामित होंगे।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
11/12/24
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चित्रकूट (उ0प्र0)

(7) ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/संस्था को इस आधार पर लाइसेन्स शुल्क से मुक्त नहीं किया जा सकता कि उसने किसी अन्य संस्था, निकाय अथवा सम्बन्धित विभाग लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो, प्रत्येक व्यवसायी को हरहालत में जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(8) उपविधि के अधीन कोई भी लाइसेन्स शुल्क का बकाया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय 8 में वर्णित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

6

(9) जिला पंचायत, चित्रकूट के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा पंचायत का कर्मचारी जिसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है किसी भी दुकान का निरीक्षण कर शुल्क जमा कराने का अधिकारी होगा साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का अन्य कर्मचारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो किसी भी उचित समय पर किसी भी दुकान में रखे गये खाद्य पदार्थ या अन्य विक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण करते हैं, उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे दुकान पर रखे गये खाद्य पदार्थ जो मनुष्यों के उपयोग हेतु अनुचित हो तत्काल नष्ट कर दें जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(10) इस उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स-धारक द्वारा उपविधि के किसी भी धारा, उपधारा का उल्लंघन करने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय लाइसेन्स को स्थगित कर दे अथवा निरस्त कर दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष, जिला पंचायत के समक्ष आदेश प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर की जा सकती है इस विषय पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(11) जिला पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्सधारक को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा—

(क) कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसे किसी व्यक्ति को जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं ही उपविधि में वर्णित व्यवसाय कर सकता और न ही किसी ऐसे रोगी व्यक्ति को व्यवसाय में नौकर या सहायक रूप में सेवायोजित कर सकता है।

(ख) कोई भी लाइसेन्सधारक/व्यक्ति खाद्य पदार्थ को बनाने या रखने हेतु धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार विकृत कर दूषित करते हों अथवा जिनमें बनाया हुआ अथवा रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।

(ग) खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिये रखे गये साफ बर्तनों में इस प्रकार ढककर रखे जायेंगे जिनमें उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव-जन्तु बैठने न पाये जिससे खाद्य सामग्री हानिप्रद होने की सम्भावना न रहे।

(घ) प्रत्येक लाइसेन्सधारक को अपने दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ेगा जिसमें-दुकान का नाम, व्यवसाय का विवरण, लाइसेन्स-धारक का नाम तथा रेट आदि भी अंकित करना होगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित व्यवसाय करने वाले लाइसेन्सधारक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नाप बांटों का प्रयोग करना होगा तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के निर्देश का अनुपालन करना होगा।

(12) उपविधि के प्रस्तर 6 में दी गई व्यवस्थानुसार पंचायत द्वारा किसी क्षेत्र विशेष लाइसेन्स शुल्क उगाही कराने हेतु ठेका/नीलामी का निर्णय लिया गया है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे—

(1) नीलाम/ठेका स्वीकृति के उपरान्त उपविधि के प्राविधानों व तत्सम्बन्धी बनाई गई शर्तों के अनुसार इकरार करना होगा।

(II) सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित स्टैम्प पर "जैसा कि स्टाम्प नियमों में निर्धारित दर हो" अनुबन्ध करना होगा ।

(III) सम्बन्धित ठेकेदार को पंचायत द्वारा निर्धारित रसीद बहियों में वसूली कार्य करना होगा जो पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जारी की जायेगी ।

(iv) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूली शुल्क उद्ग्रहीत हेतु नियुक्त संग्रह कर्ताओं के नाम, पता, फोटो सहित सूची प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त लाइसेन्सिग अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शुल्क उद्ग्रहीत अधिकृत व्यक्ति द्वारा कराया जा सकेगा ।

(v) उपविधि में वर्णित शर्तों के साथ पंचायती राज उ0 प्र0 शासन व पंचायत तत्सम्बन्धी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(13) उपविधि में वर्णित दुकानें व अन्य व्यवसायों के लिये दुकान/व्यवसायवार लिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा दरें निम्नवत् हैं—

क्रमांक	दुकान का प्रकार/ व्यवसाय विवरण	लाइसेन्स शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	कपड़ा की फुटकर दुकान (वस्त्र भण्डार)	300.00
2	कपड़ा की दुकान थोक	500.00
3	परचून की दुकान फुटकर (छोटी)	200.00
4	परचून की दुकान बड़ी (थोक)	300.00
5	किराना की फुटकर (छोटी)	200.00
6	किराना की बड़ी दुकान (थोक)	500.00
7	गल्ला खरीद विक्री की बड़ी दुकान (गल्ला आढ़त)	1000.00
8	गल्ला खरीद की फुटकर दुकान (छोटी) (10 कुन्तल तक)	500.00
9	सोने चांदी के आभूषण की बिक्री दुकान (सर्राफ)	1000.00
10	सोने चांदी के आभूषण बनाने की दुकान	200.00
11	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवायें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अन्य (छोटी)	500.00
12	मेडिकल स्टोर (थोक) देशी दवायें, होम्योपैथिक अन्य	100.00
13	बिसात खाना	100.00
14	जनरल स्टोर	200.00
15	पुस्तक कापी (स्टेशनरी छोटी दुकान)	200.00
16	पुस्तक कापी / स्टेशनरी (थोक)	300.00
17	मीठा दुकान (मिष्ठान भंडार)	150.00
18	चाय की दुकान (टी स्टाल)	50.00
19	पान की दुकान	50.00
20	चाय-पान की सम्मिलित दुकान	75.00
21	शर्बत, लस्सी, कोल्डड्रिंक सोडावाटर आदि की दुकान	100.00
22	होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट	300.00
23	लोहे की बड़ी दुकान (जिसमें कटिया, मशीन, बाल्टी, सरिया, इंगल आदि	300.00
24	लोहे की छोटी दुकान (जिसमें) लोहे की बनी अन्य वस्तुयें शामिल)	200.00
25	साईकिल स्टोर (साईकिल एवं पुर्जे के विक्रेता (थोक)	300.00
26	साईकिल स्टोर (साईकिल के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत कार्य)	100.00

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
Sd/- 11/12/24
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चित्रकूट (उ0प्र0)

1	2	3
		रु०
27	वर्तन विक्रेता (वर्तन पीतल, स्टील तांबा सिलवर अन्य धातु) बड़ी	300.00
28	वर्तन विक्रेता, (वर्तन पीतल स्टील तांबा, सिलवर अन्य धातु) छोटी	200.00
29	कपडा सिलाई (टेलरिंग शाप) जिसमें एक मशीन हो	50.00
30	कपड़ा सिलाई मशीन (टेलरिंग शाप) जिसमें एक से अधिक मशीन हो।	100.00
31	जलाऊ लकड़ी की दुकान टाल	200.00
32	इमारती लकड़ी की दुकान (जिससें गैस बल्ली, लट्ठा आदि हो)	500.00
33	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाले सामान (फर्नीचर दुकान)	300.00
34	कोयला की दुकान (सभी प्रकार)	500.00
35	बिल्डिंग मैटेरियल (सप्लायर) अथवा किराये पर उठाने वाला	500.00
36	बूट हाउस जूता की दुकान शो रूम	300.00
37	जूता चप्पल की दुकान	200.00
38	जूता के अलावा चमड़े के बने हुए अन्य सामान की दुकान (लेदर स्टोर)	200.00
39	रैक्सीन तिरपाल आदि के बैग, अटैची तथा अन्य सामान की दुकान	200.00
40	स्पंच के गद्दे, तकिया, सोफा, प्लास्टिक फर्नीचर विक्रेता	300.00
41	कृषि यंत्र (कृषि औजार)	200.00
42	बीज भंडार समस्त प्रकार के बीज भंडार (सरकारी बीज भंडार छोड़कर)	200.00
43	टीन चद्दर के बाक्स, पलंग, कुर्सी स्टील, फर्नीचर दुकान	200.00
44	वाच शाप घड़ी विक्रेता (जेब, हाथ घड़ी, आलार्म घड़ी)	300.00
45	वाच रिपेयर दुकान (समस्त प्रकार की घड़ी के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत)	100.00
46	बिजली के सामान की दुकान (समस्त विद्युत उपकरण एवं मरम्मत)	200.00
47	रोड लाइट (बिजली सजावट) साउण्ड सर्विस	300.00
48	रसायनिक खाद दुकान (जिसमें सरकारी खाद, व गोदाम न हो)	300.00
49	फलों की दुकान	100.00
50	सब्जी की दुकान	100.00
51	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	150.00
52	कांच व चीनी पत्थर के सामान (क्राकरी दुकान)	200.00
53	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	200.00
54	बाल कटिंग (सैलून) दुकान	100.00
55	आटो पार्ट्स दुकान (दुपहिया वाहन)	500.00
56	आटो पार्ट्स दुकान (चार पहिया वाहन)	500.00
57	मोटर गैरिज (दुपहिया वाहन)	200.00
58	मोटर गैरिज (चार पहिया वाहन)	200.00
59	मोटर कार, जीप कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, पंचर, हवा भरने की दुकान	100.00
60	पम्पसेट एवं पार्ट्स विक्रय	500.00

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
Sulhi 11/12/24
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चित्रकूट (उ0प्र0)

1	2	3
		रु०
61	धर्म कांटा	500.00
62	पशु आहार बिक्री दुकान	200.00
63	मुर्गी पालन उद्योग	500.00
64	डेयरी फार्म (दुग्ध उद्योग)	1500.00
65	हथियार अग्नेयास्त्र की दुकान	1000.00
66	अफीम गांजा, भांग, ताड़ी की दुकान	500.00
67	देशी शराब की दुकान	500.00
68	विदेशी शराब की दुकान	1000.00
69	फोटो स्टूडियो, फोटो कापी, कम्प्यूटर सर्विस	200.00
70	रेडिमेड कपड़ा (होजरी) दुकान	200.00
71	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एवं पार्ट्स विक्रेता	500.00
72	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एवं मरम्मत कार्य	200.00
73	पी० सी० ओ० (दूर संचार सेवा) दुकान	300.00
74	मशीन अथवा हाथ से जूता चप्पल निर्माणकर्ता	100.00
75	गुड़, लाई, चना, मूंगफली विक्रेता	100.00
76	गुड़, शकर, मैदा आदि की दुकान	100.00
77	लांड्री (ड्रायक्लीनर) दुकान	100.00
78	तम्बाकू बिक्री की दुकान	200.00
79	रूई विक्रेता	500.00
80	सभी प्रकार खेल-कूद (स्पोर्ट्स) दुकान	200.00
81	कबाड़ी की दुकान	200.00
82	सीमेन्ट, गिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट/प्लास्टिक पाइप (सिनेटरी) माप, जाली जंगला, सिनेटरी	500.00

1	2	3
		रु०
83	रंग रोगन की दुकान (वार्निश पेन्ट) वाल पेन्ट डिस्टेम्पर इसमोसियम	500.00
84	शामियाना, कुर्सी आदि किराये की दुकान (टेन्ट हाउस)	1000.00
85	कोलतार (डामार) फिनायल	1000.00
86	अण्डे की दुकान	100.00
87	घी, दूध, तेल की दुकान	200.00
88	हाथ ठेला फेरी अथवा खोन्चा (सिर पर) फेरी (कार्य)	50.00
89	लकड़ी के खिलौने बनाने व बिक्री की दुकान	300.00
90	(अ) दूध फेरी विक्रेता 10 लीटर तक	100.00
	(ब) दूध फेरी विक्रेता 11 लीटर से 20 लीटर तक	200.00
	(स) दूध फेरी विक्रेता 21 लीटर से अधिक पर	550.00
91	खोवा उत्पादक फेरी द्वारा क्रय-विक्रय	200.00
92	कपड़ों की रंगाई (रंगरेज) दुकान	200.00
93	साइन बोर्ड दीवाल पेन्टिंग (पेन्टर) दुकान	200.00
94	कपड़ा/बिसातखाना दुकान अन्य घरेलू सामान (फेरी द्वारा)	100.00
95	अन्य व्यवसाय जो सूची में सम्मिलित नहीं हैं	200.00
96	आतिशबाजी की दुकान	500.00
97	नौटंकी कम्पनी, खेल तमाशा व मनोरंजन शो आदि पर	100.00
98	बैण्ड बाजा	500.00
99	अन्य बाजा (बीन बाजा, ढोल पंजाबी भांगड़ा)	200.00
100	रेडियो टी० वी० इलेक्ट्रानिक	500.00

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
Sulli 11/1/24
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चित्रकूट (उ०प्र०)

1	2	3
		रु0
101	रेडियो टी0वी0 अन्य इलेक्ट्रानिक समान के पुर्जे बिक्री व मरम्मत	200.00
102	फुटकर मिट्टी का तेल, क्रोसीन, डीजल, मोबिआयल	200.00
103	पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प	2000.00
104	मिट्टी का तेल पम्प क्रोसीन	1000.00
105	कोल्ड स्टोरेज	5000.00
106	प्रापर्टी डीलर व्यवसाय	2000.00
107	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट व्यवसाय पर—	
	(1) बिना वाहन के ट्रेवल्स/ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी पर	500.00
	(2) वाहन सहित ट्रेवल्स/ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज	1000.00
	(3) आटो रिक्शा (दो सीटर अथवा चार सीटर)	100.00
	(4) आटो रिक्शा (मेटाडोर) 7 सीट तक	300.00
	(5) मिनी बस	500.00
	(6) बस	1000.00
	(7) अन्य चार पहियों के व्यवसायिक वाहन	500.00
	(8) मोटर वाहन एजेन्सी (सेल/सर्विस)	5000.00
	(9) स्कूटर/मोटर साइकिल एजेन्सी, (सेल सर्विस)	2000.00
108	स्वास्थ सेवा व्यवसाय—	
	(1) नर्सिंग होम 20 बेड तक (स्वास्थ अस्पताल)	1000.00
	(2) नर्सिंग होम 20 से अधिक बेड	2000.00
109	ठंडी बियर की दुकान	1000.00
110	बालू स्टाकिस्ट (डम्प) 2000 घन मीटर तक	1000.00
111	बालू स्टाकिस्ट (डम्प) 2001 घन मीटर से अधिक पर	2000.00

(14) उपविधि संख्या 13 में वर्णित दुकानें तथा अन्य व्यवसायों की निर्धारित शुल्क में उसके प्रभावी तिथि से 3 वर्ष के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज अनुभाग की रा0 संख्या 2004 (1)/33-2-2001-26 जी/2001, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 की राजाज्ञानुसार दरों में नियमित शुल्क संशोधित किये जाने का अधिकार पंचायत में निहित है।

(15) वाहनों के लाइसेन्स न बनवाने वाले अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जि0 पं0 लिखित रूप में वाहन को अपनी अनुरक्षा में लेने का अधिकार होगा और यदि एक सप्ताह निर्धारित किये गये शुल्क को अदा कर लाइसेन्स प्राप्त न किया जायेगा तो बिना किसी के पकड़ा गया वाहन जि0 पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी चालान कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण दायित्व वाहन चालक/स्वामी का होगा।

दण्ड

उ0 प्र0 क्षेत्र/जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चित्रकूट यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो 1000.00 रु0 तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है 50.00 रु0 तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

सं0 08/एल0बी0ए0/उपविधि जिला पंचायत चित्रकूट 2005-2006—जिला पंचायत, चित्रकूट अपने ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर्स (पत्थर, गिट्टी तोड़ने की मशीन) की स्थापना एवं संचालन को नियंत्रित करने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के शीर्षक (च) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत ...

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
11/12/24
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चित्रकूट (उ0प्र0)